प्रेस नोट - थाना जालालाबाद

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक-22.11.2025

"थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा चोरी का खुलासा कर, चोरी किये गये 01 बण्डल केबिल ABC बंच (बिजली का तार) तथा एक पिकअप (मैक्स) वाहन व चोरी में प्रयुक्त उपकरणों सहित 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व चिन्हित किये गये अपराधियों/ वांछित/ वारण्टी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री- निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद के नेतृत्व में थाना जलालाबाद पुलिस को मिली बडी कामयाबी।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.10.2025 को वादी श्री सौरभ शाक्य (उपखंड अधिकारी), विद्युत वितरण उपखंड–जलालाबाद, शाहजहाँपुर, पुत्र श्री आयोध्याशरण, स्थायी पता B-538 आवास विकास कॉलोनी, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूँ, मो.नं. 9453004731, अपने हमराही विकास कुमार (अवर अभियंता) पुत्र श्री गौरीशंकर, 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र जलालाबाद नगरीय, शाहजहाँपुर, स्थायी पता नगर पंचायत घुघली, थाना घुघली, जनपद महाराजगंज, मो.नं. 8004001362 के साथ थाना स्थानीय पर उपस्थित हुए। वादी द्वारा लिखित सूचना दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा जलालाबाद रोड पर आर.के. धर्मकांटा के पास शिवधाम कॉलोनी गेट पर लगाए गए 250 केवीए के विद्युत ट्रांसफॉर्मर को क्षतिग्रस्त कर, उसमें भरा तेल, कॉपर कोर एवं ABC बंच केबल चोरी कर ली गई है। इस संबंध में मु0अ0सं0 516/2025, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) एवं 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार घटना के सफल अनावरण हेतु थाना स्थानीय पर अधि/कर्मचारियों की विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 22.11.2025 को अभियुक्त पिंटू यादव पुत्र महीपाल, निवासी ग्राम रमपुरा, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर को याकूबपुर तिराहा से समय लगभग 00:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से रु. 4150/- नकद (500×8, 100×1, 50×1), एक अदद वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप CBC रजिस्ट्रेशन नं. UP27 BT 3668 तथा गाड़ी का डाला खोलकर देखा तो गाड़ी में रखा01 बंडल ABC बंच केबल, लंबाई लगभग 19 मीटर व इफको डीएपी प्लास्टिक बोरे में रखे, बिजली तार काटने/जोड़ने के उपकरण-1.एक लोहे की दुधारी आरी (लकड़ी का हत्था सहित) 2.दो अदद चेनपुली लोहा एक छोटी व एक बड़ी, 3.दो अदद इंसुलेटर पिन लोहा मय बोल्ट, 4.एक अदद डिस्क स्लिप लोहा मय नट बोल्ट, 5.एक अदद पाना लोहा VENUS N0.13 CHROME VANADIUM 27/24, 6.एक अदद चाबी लोहा VENUS CHROME VANADIUM 27/24, 7.दो अदद पेचकस लोहा छोटा व बड़ा हत्था प्लास्टिक रंग लाल, 8.दो अदद प्लास लोहा हत्था लाल व नीला, 9.एक अदद सूजा लोहा जिसमें लकड़ी का हत्था लगा है बरामद हुये। शेष अभियुक्तगण 1.विपिन यादव पुत्र नेकराम निवासी ग्राम रमपुरा थाना कलान जनपद शाहजहांपुर, 2.मुनीश पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम रजुआपुर थाना परौर जिला शाहजहांपुर, 3.पवन कश्यप पुत्र जगदीश निवासी ग्राम चिता नगला थाना परौर जनपद शाहजहांपुर 4.अभिषेक पुत्र भूरे निवासी ग्राम गोली नगला थाना परौर जनपद शाहजहांपुर मौके का फायदा उठाकर भाग निकले जिनकी गिरफ्तारी शेष है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

पूछताछ अभियुक्तगण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि हम लोग दिन में घूमफिर कर नींचे रखे ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं और रात में ABC बंच केबल व कापर कोर सहित तेल चोरी कर लेते हैं और इसी पिकअप गाडी में रखकर अपने गांव की ओर ले जाते हैं तथा उसे बेचकर जो कमाई होती है उसे हम लोग आपस में बांट लेते हैं और अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं यह ABC बंच केबल मैंने और मेरे साथियों 1. विपिन यादव पुत्र नेकराम निवासी ग्राम रमपुरा थाना कलान जनपद शाहजहांपुर, 2-मुनीश पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम रजुआपुर थाना परौर जिला शाहजहांपुर, 3-पवन कश्यप पुत्र जगदीश निवासी ग्राम चिता नगला थाना परौर जनपद शाहजहांपुर 4-अभिषेक पुत्र भूरे निवासी ग्राम गोली नगला थाना परौर जनपद शाहजहांपुर ने मिलकर अब से करीब एक माह पूर्व यमुना सिटी जलालाबाद के सामने रखे ट्रांसफार्मर से काटकर चोरी की थी तथा शिवधाम कालोनी जलालाबाद के गेट पर रखे ट्रांसफार्मर से तेल व कापर कोर चोरी की थी और इसी गाड़ी में रखकर ले गये थे यह गाड़ी मेरे नाम पंजीकृत है। तेल व कापर कोर हमने एक राह चलते कबाड़ी को बेच दी थी और उससे जो कमाई हुयी थी वह हम पांचों ने आपस में बांट ली थी। मेरी जेब से जो रुपये बरामद हुये हैं यह ट्रांसफार्मर से चोरी किये गये तेल, कापर कोर को बेचकर जो रुपये मेरे हिस्से में आये थे उसी के बचे हुये हैं शेष रुपये मुझसे घर के कार्यों में खर्च हो गये हैं गाड़ी में पीछे मेरे साथी 1.विपिन यादव पुत्र नेकराम निवासी ग्राम रमपुरा थाना कलान जनपद शाहजहांपुर, 2-मुनीश पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम रजुआपुर थाना परौर जिला शाहजहांपुर, 3-पवन कश्यप पुत्र जगदीश निवासी ग्राम चिता नगला थाना परौर जनपद शाहजहांपुर 4-अभिषेक पुत्र भूरे निवासी ग्राम गोली नगला थाना परौर जनपद शाहजहांपुर बैठे हुये थे जो पुलिस को आता देख कर कूदकर भाग गये मुझसे गलती हो गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.पिंटू यादव पुत्र महीपाल निवासी ग्राम रमपुरा थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर (उम्र 27 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 516/25 धारा 303(2) BNS व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 516/25 धारा 303(2) BNS व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण-

1.रु. 4150/- नकद (500×8, 100×1, 50×1)
2.महिन्द्रा बोलेरो पिकअप CBC रजिस्ट्रेशन नं. UP27 BT 3668
3.वाहन के डाले में रखा—

(A) 01 बंडल ABC बंच केबल, लंबाई लगभग 19 मीटर
(B) एक बोरा इफको डीएपी, जिसमें बिजली तार काटने/जोड़ने के उपकरण

- एक लोहे की दुधारी आरी (लकड़ी का हत्था सहित)
- दो चेन पुल्ली (एक बड़ी, एक छोटी)
- दो इंसुलेटर पिन मय बोल्ट
- एक डिस्क स्लिप मय नट–बोल्ट
- एक पाना VENUS No.13 CHROME VANADIUM 27/24
- एक चाबी VENUS CHROME VANADIUM 27/24
- दो पेचकस (लाल प्लास्टिक हत्था—एक बड़ा, एक छोटा)
- दो प्लास (लाल व नीला हत्था)
- एक सूजा (लकड़ी के हत्थे सहित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
2.उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना जलालाबाद, शाहजहांपुर
3.व0उ0नि0 श्री सकतावत सिंह थाना जलालाबाद, शाहजहांपुर
4.हे0का0 11 नरेन्द्र सिहं थाना जलालाबाद, शाहजहांपुर
5.का0 2631 देवव्रत थाना जलालाबाद, शाहजहांपुर